

राष्ट्रीय सेवा योजना "सी" प्रमाण पत्र हेतु प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट) का प्रारूप

राष्ट्रीय सेवा योजना में "सी" प्रमाण पत्र का विशेष महत्व है। इस हेतु प्रतिवेदन की प्रस्तुति सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। पूंजीयन होने के तत्काल बाद स्वयंसेवक की विषय का चयन कर कार्यक्रम अधिकारी से स्वीकृति लेनी चाहिए। विषय - चयन के समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :-

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. पर्यावरण | 2. स्वास्थ्य |
| 3. स्वच्छता | 4. शिक्षा/साक्षरता |
| 5. बालश्रमिक | 6. नारी-चेतना |
| 7. समाज सेवा | 8. समाजिक समस्याएँ (नशा उन्मूलन, अस्पृश्यता..) |
| 9. राष्ट्रभाषा | 10. आर्थिक सशक्तिकरण |
| 11. ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण | 12. आकस्मिक आगदा |

एवं अन्य समसामयिक स्थानीय विषयों का चयन। परियोजना प्रतिवेदन दो खण्डों में विभक्त रहेगा-

प्रथम खण्ड

सैद्धान्तिक पक्ष :- इस खण्ड में परियोजना सम्बन्धी उद्देश्य, परिकल्पना, साधन, समाज एवं देश से सम्बद्धता आदि पर प्रकाश डाला जायेगा। इसका स्वरूप निम्नवत् हो सकता है :-

• परियोजना प्रतिवेदन का शीर्षक -

• परियोजना का उद्देश्य - (10 से 15 पंक्तियों में)

• परियोजना की परिकल्पना एवं प्रविधि - (परियोजना के साकार करने हेतु की गई कल्पना एवं प्रविधि के अन्तर्गत - ऐसा करने से ऐसा हो सकता है- आदि का विवरण- दो तीन पृष्ठों में)

• परियोजना प्रतिवेदन हेतु साधन (एक या दो पृष्ठों में) (पुस्तकालय, पत्र-पत्रिका, साक्षात्कार, नुक्कड़ नाटक आदि)

• परियोजना का समाज अथवा राष्ट्र के लिए उपयोगिता (तीन से पाँच पृष्ठों में)

द्वितीय - छप्प

व्यावहारिक पक्ष :- इस छप्प में विभिन्न सैद्धान्तिक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं सेवक द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना है। स्वयं सेवक परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विद्यालय, गाँव/अथवा शहर में किसी तिथि, किस समय, किस स्थान, किन लोगों को सूचित किया है, विषय पर किसने क्या सलाह दी, प्रभाव कैसा रहा, आदि का विवरण होना चाहिए। इसके लिए अन्य क्या-क्या कार्य किये गये इसका बिन्दुवार विवरण इस से बीस पृष्ठों में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संवर्धित फोटो, साक्षात्कार की कॉपी समाचार पत्र की कॉपी अन्य प्रधान पाठक, सरपंच एवं अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र आदि लगाये जायें। प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सत्र भर की स्वयं सेवक की गतिविधि का भी उल्लेख होना चाहिए।

विशेष

- परियोजना प्रतिवेदन के प्रधान पृष्ठ पर प्रस्तुतकर्ता का नाम परियोजना का विषय, सत्र, संस्था एवं विश्वविद्यालय का विवरण होना चाहिए।
- द्वितीय पृष्ठ पर कार्य-नैतिकता का प्रमाण पत्र, आभार एवं कार्यक्रम अधिकारी तथा प्राचार्य का प्रमाण पत्र सम्मिलित होना चाहिए।
- कुल मिलाकर प्रतिवेदन बीस से तीस पृष्ठों में केन्द्रित होना चाहिए।
- स्वयं सेवक "ए", "बी" श्रेणियों से सम्बन्धित अन्य प्रमाण पत्र (सर्वोपरीकृत विपरीत शिबिर, मूल पोखियों, साक्षरता आदि) संलग्न कर सकता है।
- परियोजना प्रतिवेदन आकर्षक ढंग से प्रस्तुत होना चाहिए।
- प्रतिवेदन की एक कॉपी विश्वविद्यालय को, एक कॉपी कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को एवं एक कॉपी स्वयं सेवक के पास होनी चाहिए।

सो प्रमाण पत्र हेतु एक सत्र में स्वयं सेवक को 120 घण्टे (एक सौ बीस घण्टे) का कार्य करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले साक्षात्कार के समय छात्रों एवं स्वयं सेवक के प्रोजेक्ट साथ में होना चाहिए।